

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक: 22 जून, 2017

संख्या 27/एस.टी.-2 – हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर भुगतान किए जाने के लिए दायी हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त है ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को लागू होगी ।

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 22nd June, 2017

No: 27/ST-2 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby specifies the persons who are engaged only in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

SANJEEV KAUSHAL
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department